कार्यालय कलेक्टर (जनजातिय कार्य विभाग) जिला झाबुआ (म.प्र)

क्रमांक/1265/निर्माण/2026–27/3234 झाबुआ, दिनांक 06/05/2026

::द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ::

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक के संशोधनों सहित विभागीय उमावि संस्था के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.	पोर्टल क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_TAD_504548_1	कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानापुर में 02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	35.28	50000	5000	4 माह वर्षाकाल सहित

नोट :–

- उक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र को वेब साईट पर ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि 26.05.2026..... –समय सांय 6.00 बजे तक निर्धारित है। (Tender Document) वेबसाईट https://mptenders.gov.in के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
- निविदा की शर्तें वेबसाईट https://mptenders.gov.in या सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय में देखी जा सकती है।
- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करे। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करे। वैबसाईट मे किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति मे ऑफलाईन (हार्ड कॉपी मे) मान्य नही होगा। यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे मे या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

निविदाकार द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये जाने वाले अनिवार्यतः दस्तावेज हेतु सामान्य शर्ते :–

1. अमानत राशि जो सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय के पक्ष मे देय एवं स्थानीय शाखा में भुगतान के योग्य हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।
2. वैध पंजीयन प्रमाण पत्र,
3. निविदाकार को किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबंधी स्वयं के लेटर हेड पर लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. जीवित जी.एस.टी. पंजीयन।
5. पेन कार्ड।
6. शपथ पत्र एनेक्जर–बी (स्टॉम्प राशि रु.200/– पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)
7. Organizational Detail – अनुलग्नक–एच (Annexure-H)
8. विगत 3–वर्ष की आयकर विवरणी(विगत 3–वर्ष का इन्कम टेक्स रिटर्न)

CamScanner

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चैक लिस्टः–

क्र	वॉछित दस्तावेज	पृष्ठ	रिमार्क
1	अमानत राशि/निविदा प्रपत्र की रसीद		
2	ठेकेदारी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र		
3	नॉन ब्लैक लिस्टेड–स्वयं द्वारा लिखित प्रमाण पत्र		
4	जीवित जी.एस.टी. पंजीयन		
5	पेन कार्ड		
6	एनेक्जर–बी (स्टॉम्प राशि रु.200/– पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)		
7	अनुलग्नक–एच (Annexure-H)		
8	विगत 3–वर्ष की आयकर विवरणी		
	कुल पृष्ठ		

उपरोक्तानुसार अपेक्षित किसी भी दस्तावेज के ऑनलाईन प्राप्त नहीं होने की दशा में अथवा अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की दशा में निविदाकार अपात्र हो जाने पर संबंधित ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज(निविदा शर्तों के अनुसार) सही पाये जाने पर ही वित्तीय ऑफर ऑनलाईन रूप में निर्धारित दिनांक को खोले जावेगें।

यदि ब्लेक लिस्टेड होने के संबंध में कोई जानकारी विभाग को प्राप्त होती है तो इस स्थिति में संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबंध को समाप्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु शासन को होने वाली आर्थिक हानि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

9- Key Dates-

Sr. No.	Work Department Stage	Start	
		Date	Time
1	Publishing Date	06.05.2026	10.30 AM
2	Document Download/Sale Start Date	11.05.2026	10.30 AM
3	Bid Submission Strat Date	11.05.2026	10.30 AM
4	Bid Submission Closing Date	26.05.2026	06.00 PM
5	Bid Opening Date	28.05.2026	11.30 AM

10. पूर्ण ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव निर्धारित दिनांक एवं समय तक मान्य किये जावेगें।
11. निविदाकार को समस्त अभिलेख स्वसत्यापित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
12. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 भोपाल के आदेशानुसार निर्माण कार्यो में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग नियमानुसार किया जावेगाः–

    निविदाकार को तकनिकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से उपयुक्त सामग्री का उपयोग करते हुए विभागीय उपयंत्री के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा तथा वरिष्ठ विभागीय/अन्य तकनिकी अधिकारियों के द्वारा स्वीकृत कार्य संबंध में कोई तकनिकी सुधार कार्य के निर्देश प्रदान किये जाते है तो विभागीय निर्देशों के तहत तकनिकी रूप के कार्यों को करना अनिवार्य होगा।
13. वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध विखण्डित कर ईएमडी जप्त कर पूनः निविदा आमंत्रित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मैदारी ठेकेदार की होगी।
14. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा। कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं होगा।
15. कार्य मे किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों मे मुल्य वृद्धि देय नही होगी।
16. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

CamScanner

17. उक्त कार्य बजट आबंटन की प्रत्याषा में उपलब्धता अनुसार संपादित कराये जावेंगे। बजट आबंटन की प्रत्याषा में ही कार्यालय द्वारा कार्यादेष जारी किया जावेगा । बजट आवंटन में वृद्धि या कमी हो सकती है।

18. यदि निविदाकार द्वारा समयावधी में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 की कण्डिका अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

19. ठेकेदार की यह व्यक्तिगत जिम्मैवारी होगी कि कार्य में संलग्न मजदूरों की मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो, साथ ही मजदूरों के सुरक्षा बीमा, सुरक्षा उपकरण हेतु भी ठेकेदार व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगा किसी भी दशा में विवाद की स्थिति अथवा दुर्घटना की स्थिति में विभाग जिम्मैवार नहीं होगा। कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का ही होगा।

20. निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नही की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिए निविदाकार के द्वारा पृथक–पृथक रूप से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

21. भवन में विद्युत कार्य हेतु विद्युत लाईसेंसधारी से अनुबंध कर अनुबंध के समय कॉपी जमा करानी होगी।

22. **निविदा दर स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार को समयावधि में अनुबंध हेतु प्रेषित पत्र के तहत निविदाकार को 15–दिवस में 5% Performance Guarantee** एवं **Additional Performance Guarantee** की राशि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ–53/02/2011/यो./19/524 भोपाल दिनांक.14.02.2025 अनुसार एफडीआर (जो **सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ** के पक्ष मे देय हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो) सहित **अनुबंध हेतु कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबंध संपादित किया जाना अनिवार्य होगा।**

23. ठेकेदार के अनुबंध हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा शासन हित में एकतरफा कार्यवाही करते हुए निविदाकार द्वारा कार्य हेतु जमा की गई अमानत राशि राजसात की कार्यवाही की जावेगी एवं समयावधि उपरांत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा।

24. वर्क कॉन्ट्रेक्ट के मूल्य संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2025 अनुसार राशि रूपये पचास लाख तक 1000/–रूपये तथा संविदा मुल्य पचास लाख से अधिक होने पर– 10,00,000/– रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, 0.2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य रहेगा।

25. कार्य हेतु दी गई समयावधि मे कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निविदाकार द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो शासन नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही राजस्व वसुली की भांती की जावेगी।

26. निविदा मे अंकित कार्य का स्थान परिर्वतन करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.भोपाल/जिला कार्यालय झाबुआ को पूर्णतः अधिकार रहेगा।

27. निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात कार्यादेश जारी होने पर 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो स्वीकृत निविदा निरस्त किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को आगामी कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के फलस्वरूप पूनः निविदा आमंत्रित किये जाने की स्थिति में निविदाकार के द्वारा जमा की गई एफडीआर/ **Performance Guarantee / Additional Performance Guarantee** की राशि राजसात की जावेगी।

28. कार्यो के देयको का भुगतान शासन से कार्य स्वीकृति तहत उपलब्ध कराये जाने वाले मदवार आवंटन के अनुसार किया जावेगा ।

29. निविदा मे अंकित कार्य की मात्रा को कम या ज्यादा करने हेतु कार्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

30. निविदाकार **Appendix 2.10 Tender Document** में उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्तों हेतु भी बन्धनकारी रहेगा।

CamScanner

31. शासन नियमानुसार (लागू व मान्य) सुरक्षा निधि/आयकर/जीएसटी तथा श्रमिक कल्याण निधि की राशि का कार्य के देयकों से नियमानुसार कटोत्रा किया जावेगा।

32. निविदाकार के द्वारा विगत 5–वर्षों में विभाग/कार्यालय अन्तर्गत स्वीकृत अनुबंधित किसी कार्य को अपूर्ण स्थिति में रखा या छोड़ा गया है तो वह ठेकेदार/निविदाकार इस निविदा में निविदा प्रस्तुति के लिये अपात्र होगा।

33. ठेकेदार को प्रत्येक बिल भुगतान के समय माप पुस्तिका में कार्य पूर्व के फोटो एवं किये गये कार्य के फोटों प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

34. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ

पृ.कंमाक/1265/निर्माण/2026–27/3235 झाबुआ, दिनांक : 06/05/2026

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. कलेक्टर जिला झाबुआ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ।
4. संभागीय उपायुक्त,जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभाग इन्दौर।
5. परियोजना प्रशासक आय.टी.डी.पी.झाबुआ।
6. कार्यपालन यंत्री जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.भोपाल।
7. कार्यपालन यंत्री जनजातीय कार्य विभाग इन्दौर संभाग इन्दौर।
8. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भवन) झाबुआ।
9. कार्यपालन यंत्री, लोक निमार्ण विभाग(रोड़) झाबुआ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला झाबुआ।
11. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ।
13. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड ....समस्त।
14. संबंधित प्राचार्य/संबंधित संस्था/संबंधित अधीक्षक/अधीक्षिका...।
15. उपयंत्री/प्रभारी उपयंत्री जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ।
16. विभागीय जनजातीय कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर झाबुआ के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
17. कार्यालयीन शाखा ....जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by SURESH BHURIYA
Date: 2026.05.06 18:58:36 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

CamScanner